प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथलू पुत्र श्री जयसराज, निवासी जनपद-सुलतानपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-03-2021) दिनांक-15-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथलू पुत्र श्री जयसराज, जो कस्बा-लम्भुआ, थाना-लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर का रहने वाला है। दिनांक 12.03.2001 को दिन में लगभग 11:00 बजे वादी फूलचन्द्र का पुत्र अनूप कुमार उर्फ मंगल अपने नलकूप पर स्नान कर रहा था। उसी समय बन्दी ने पुरानी रंजिश में अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा से सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/2001 व 160/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 504, 506 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, कक्ष संख्या-08 सुलतानपुर के आदेश दिनांक 01.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 17 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-सुलतानपुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-सुलतानपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सुलतानपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की संभावना होने, अपराध करने में अक्षम नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सुलतानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 12.03.2001 को पुरानी रंजिश में 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा से सीने में गोली मारकर अनूप कुमार उर्फ मंगल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-सुलतानपुर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुलिस अधीक्षक, जनपद-सुलतानपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सुलतानपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथलू पुत्र श्री जयसराज को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथलू (बन्दी संख्या-1427/2014) पुत्र श्री जयसराज, निवासी जनपद-सुलतानपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-122/2021/1010(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-122/2021/1010/22-2-2021-17(557)/2021

दिनांक 29 जुलाई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथलू पुत्र श्री जयसराज, जो कस्बा-लम्भुआ, थाना-लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर का रहने वाला है। दिनांक 12.03.2001 को दिन में लगभग 11:00 बजे वादी फूलचन्द्र का पुत्र अनूप कुमार उर्फ मंगल अपने नलकूप पर स्नान कर रहा था। उसी समय बन्दी ने पुरानी रंजिश में अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा से सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/2001 व 160/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 504, 506 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, कक्ष संख्या-08 सुलतानपुर के आदेश दिनांक 01.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 17 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-सुलतानपुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-सुलतानपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सुलतानपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की संभावना होने, अपराध करने में अक्षम नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सुलतानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 12.03.2001 को पुरानी रंजिश में 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा से सीने में गोली मारकर अनूप कुमार उर्फ मंगल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-सुलतानपुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-सुलतानपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सुलतानपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथलू पुत्र श्री जयसराज को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in